HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. **2nd** Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 521/2026

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No.2384/2023
CNR: RJHC020138612026 | URN: SOSA / 993U / 2026

Sunny C/o Trilok Nani Ramkanya Bai Nana Gudram, R/o Shankarpura, Police Station Dablana, District Bundi (Raj.) (At Present Confined In Central Jail Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Govind Prasad Rawat
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P. with Mr. Navdeep Singh, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

21/08/2026

अपीलार्थी–अभियुक्त **सन्नी** की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, क्रम संख्या–2, बून्दी** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**81/2022, सरकार बनाम सन्नी** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **23.05.2023** के विरूद्ध यह द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदंड सहित अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी/अभियुक्त दिनांक 21.04.2022 से दिनांक 25.08.2022 तक अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात् वह जमानत पर आजाद रहा है तथा वर्तमान में निर्णय की दिनांक 23.05.2023 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है, उसकी अभिरक्षा अवधि चार वर्ष होने को है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज कराई गई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं साक्ष्य का समग्रता से विवेचन नहीं किया गया है, अपील में अपीलार्थी की दोषमुक्ति के पर्याप्त एवं सुदृढ़ आधार हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः प्रस्तुत द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

योग्य लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि पीड़िता की जन्म दिनांक 18.12.2005 रही है, घटना दिनांक 12.02.2022 से 12.04.2022 के मध्य की रही है। पीड़िता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 161 प्रदर्श डी–1, बयान अंतर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 प्रदर्श पी–5 एवं विचारण न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध बयान में स्पष्ट तौर पर अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य दी है। पीड़िता अवयस्क है, अपराध की प्रकृति गंभीर है तथा उसकी अभिरक्षा अवधि अभी मात्र चार वर्ष ही हुई है, अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रस्तुत सजा स्थगन आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों–वितर्कों पर मनन किया, पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 प्रदर्श पी–5, बयान अंतर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 प्रदर्श डी–1 एवं विचारण के दौरान पीड़िता के पी0डब्ल्यू–1 के रूप में लेखबद्ध बयान, चिकित्सा विशेषज्ञ साक्षी डॉक्टर शिवानी पी0डब्ल्यू–7 की साक्ष्य एवं उपलब्ध अन्य साक्ष्य सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पीड़िता द्वारा अपने उक्त बयानों में अभियुक्त के विरूद्ध स्पष्ट तौर पर साक्ष्य

दी है, घटना के समय पीड़िता अवयस्क रही है, अतः प्रकरण के तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों, पीडिता के बयानों एवं अपराध की प्रकृति इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त **सन्नी संरक्षक त्रिलोक नानी रामकन्या बाई, नाना गुदराम** की ओर से प्रस्तुत यह **द्वितीय** सजा स्थगन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 430 बी0एन0एस0एस0 निरस्त किया जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

79/MANOJ ADWANI